

संख्या 142 प्रदर्ष-7, खाता संख्या 143 प्रदर्ष-8 कराई। वकील वादी ने ओर साक्ष्य पेश नहीं करने का निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की ओर से राजीनामा व इकवाली जवाब दावा पेश होने से साक्ष्य प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकूलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा वाद को माफिक वादपत्र डिक्री करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 8 ने वाद को माफिक वादपत्र डिक्री किये जाने में सहमति दौराने बहस व्यक्त की। मेरे द्वारा वादी के अभिकथनों तथा साक्ष्य के तौर पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी के वाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजों से वादी के वाद की आपिकत: ताईद होती है तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नहीं किया गया है। तहसीलदार जायल राजपैरोकार को परफोर्मा पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : आदेश :-

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 कालुराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा फरड़ोद के खेत खसरा नम्बर 385 रकबा 2.2177 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2153/386 रकबा 2.5900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2771/335 रकबा 4.3363 हैक्टेयर रखा जाकर खातेदारी की घोषणा कि जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 लिखमाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा फरड़ोद के खेत खसरा नम्बर 251 रकबा 1.9506 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 252 रकबा 1.5216 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 254/1874 रकबा 0.0809 हैक्टेयर गै.मु. बाड़ा रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 परसाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा फरड़ोद के खेत खसरा नम्बर 885 रकबा 1.7401 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 883 रकबा 2.6466 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 481 रकबा 2.7519 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 483/2054 रकबा 1.2950 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 483 रकबा 0.5666 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2300/483 रकबा 0.6799 हैक्टेयर रखा जाकर खातेदारी की घोषणा कि जाती है।
4. प्रतिवादी संख्या 3 कैलाश जाखड़ के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा फरड़ोद के खेत खसरा नम्बर 253 रकबा 2.3472 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 673 रकबा 2.0234 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2361/255 रकबा 0.7284 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 255/2056 रकबा 1.8373 हैक्टेयर रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
5. प्रतिवादी संख्या 4 राजेन्द्र सिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा फरड़ोद के खेत खसरा नम्बर 2363/921 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 417 रकबा 1.3678 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 415 रकबा 2.7923 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 408 रकबा 4.3220 हैक्टेयर रखा जाकर खातेदारी की घोषणा कि जाती है।
6. प्रतिवादी संख्या 5 रुकमादेवी के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा फरड़ोद के खेत खसरा नम्बर खसरा नम्बर 634 रकबा 2.6385 हैक्टेयर यथावत रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
7. प्रतिवादी संख्या 6 सरलादेवी के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा फरड़ोद के खेत खसरा नम्बर 2255/764 रकबा 4.0792 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2760/2205 रकबा 0.0098 गै.मु. रास्ता यथावत रखा जाकर खातेदारी की घोषणा कि जाती है।
8. प्रतिवादी संख्या 7 चन्दादेवी के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा फरड़ोद के खेत खसरा नम्बर 2780/342 रकबा 1.8725 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2761/2205 रकबा 0.7996 हैक्टेयर, खसरा

3/11
सहायक कलक्टर
(ए.डी.ओ.) जायल

नम्बर 2781/342 रकवा 0.0295 हैक्टैयर गै.मु. शरता रखा जाकर खातेदारी की धौपणा की जाती है।

9. प्रतिवादी संख्या 8 गैनादेवी के हक वंट कब्जा काश्त में मौजा फरदौद के खेत खसरा नम्बर खसरा नम्बर 764 रकवा 4.0792 हैक्टैयर यथावत रखा जाकर खातेदारी की धौपणा कि जाती है।
10. बैंक के रहन खसरा नम्बर यथावत उक्त बैंक के रहन रहेमें। संबंधित बैंक को सूचित हो।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे माफिक डिक्री आदेश अनुरार राजरव रिर्कोर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। गिराल फौराल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।



(~~अ.म.क.स.प.स.स.~~)
सहायक जज के वंटर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 26.6.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(~~अ.म.क.स.प.स.स.~~)
सहायक जज के वंटर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल